

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,
मध्यप्रदेश

क्र./1-जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2018/510 भोपाल, दिनांक: /04/18

प्रति,

आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल।

विषय - सेवारत् अभ्यर्थियों की सूची में से नाम विलोपित करने खाबत्।

डॉ. श्लोक सिंह एन.एच.एम. के अंतर्गत संविदा मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। ऑनलाईन पी.जी. काउंसलिंग में सेवारत् अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करने के कारण इनका नाम सेवारत् अभ्यर्थियों की सूची में शामिल हो गया है। सेवारत् अभ्यर्थी के रूप में इन्हें कोई अधिभार अंक नहीं प्राप्त हैं।

डॉ. श्लोक सिंह द्वारा संविदा मेडिकल ऑफिसर से त्यागपत्र दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन द्वारा पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./2018/7272, दिनांक 03.04.2018 द्वारा डॉ. श्लोक सिंह को संविदा सेवा से कार्यमुक्त कर दिया है। चूंकि अब डॉ सिंह एन.एच.एम. अनुबंध में नहीं है अतः इन्हें सेवारत् नहीं माना जा सकता।

अतः डॉ. श्लोक सिंह को सेवारत् अभ्यर्थियों की सूची में से विलोपित किया जाता है।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये

पृ.क्र./1-जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2018/511 भोपाल, दिनांक: 4/04/18
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त स्वास्थ्य सेवार्ये, मध्यप्रदेश।
 2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. भोपाल, म.प्र.।
 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन, म.प्र.।
 4. डॉ. श्लोक सिंह, पूर्व संविदा मेडिकल ऑफिसर - द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
 5. नस्ती फाईल।
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश